भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4782
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

घर ले जाने योग्य राशन की आपूर्ति के लिए केंद्रीय सहायता

4782. **श्रीमती जोबा माझी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बच्चों, माताओं और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए वर्ष 2018 से आंगनवाड़ियों के माध्यम से वितरित किए जा रहे घर ले जाने योग्य राशन (टीएचआर) की आपूर्ति के लिए केंद्रीय सहायता में वृद्धि नहीं की गई है औऱ यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या इस योजना में 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का योजना के संचालन और उद्देश्यों को प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत दरों में वृद्धि करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो इसे कब तक बढ़ाए जाने की अपेक्षा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार ने अक्टूबर, 2017 में आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों में संशोधन को मंजूरी दी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं..	श्रेणियां	पुरानी दरें (प्रति लाभार्थी प्रति दिन)	अक्टूबर, 2017 में संशोधित (प्रति लाभार्थी प्रति दिन)
1.	बच्चे (6-72 महीने)	6.00 रुपए	8.00 रुपए
2.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6-72 माह)	9.00 रुपए	12.00 रुपए
3.	गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	7.00 रुपए	9.50 रुपए

इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निम्नलिखित लागत हिस्सेदारी अनुपात पर सहायता अनुदान जारी करती है;

पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत लागत भागीदारी अनुपात	
विधानमंडल वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	50:50
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जम्मू-कश्मीर सहित)	90:10
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	100:0

बजट भाषण 2025-26 के दौरान पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाने की घोषणा की गई है।

****